कृषि लोक
कृषि एवं किसान के लिए ई-पत्रिका
http://www.rdagriculture.in
e-ISSN No. 2583-0937
कृषि लोक, खंड 02 (03): 131-132, 2022

कृषि आधारित उद्योग एवं उनकी समस्याएं

विशाल सिंह, कुलदीप सिंह, [1]डा. रोबिन कुमर, [1]रजत सिंह

सस्य विज्ञान विभाग
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्विद्यालय, उत्तर प्रदेश-224229

मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायनिक विभाग
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224229

कृषि आधारित उद्योग अर्थात वे उद्योग जो कच्चे माल हेतु कृषि पर निर्भर होते हैं।जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जूट उद्योग, कपास या वस्त्र उद्योग आदि। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश की लगभग 43.5%फैक्ट्रीज कृषि से उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर हैं और लगभग 42.5% लोग इन कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े हैं। इन उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करते हैं। भारत में इन उद्योगों के विकास की बहुत संभावना है साथ ही अनेक चुनौतियां हैं जो इनके विकास में बाधक है।

1. सरकारी हस्तक्षेप

कृषि आधारित उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक प्रमुख स्रोत है। विशेषकर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व में खाद्य पदार्थ तथा प्रसंस्करण उत्पाद की कमी को पूरा करके भारत विश्व बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल कर सकता है। घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु इन्हें सरकारी मदद जरूरी होता है।सरकार द्वारा वित्तीय मदद, नीति निर्माण, प्रदर्शनी आयोजित करना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन, अनुचित बाजार प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना आदि।

2. अनुचित व्यापारनियम

यह मुख्यतः दो प्रकार से देखने को मिलता है।

डंपिंग

दूसरे देश या विदेशी निर्यातक कभी-कभी बहुत ही सस्ती दरों पर अपना उत्पाद भारतीय बाजार में बेच देते हैं जिससे घरेलू व्यापारियों को काफी हानि का सामना करना पड़ता है।चीन इसका एक सटीक उदाहरण है।

सब्सिडी

यदि आयातित विदेशी सामान पर वहां की स्थानीय सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी मुहैया कराती है तो घरेलू बाजार नुकसान में रहता है। उदाहरण के तौर पर सरकार भारतीय किसानों को खाद-बीज पर भारी सब्सिडी देती है जिससे भारतीय किसानों को प्रति क्विंटल उत्पादन लागत कम आती है। जब यह

e-ISSN No. 2583-0937

खाद्य पदार्थ निर्यात किया जाएगा तो अन्य देशों के मुकाबले भारतीय खाद्य पदार्थ बहुत सस्ते होंगे। डब्ल्यूटीओ ऐसे मामले को अनुचित व्यापार की श्रेणी में रखता है। इस तरह की अनुचित व्यापार नियम से अपने घरेलू उद्योगों या किसानों को बचाने हेतु स्थानीय सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकती है जिससे आयातित माल महंगा हो जाता है और लोगों को बराबरी की प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है।

3. व्यापार संबंधी नियम

घरेलू विनिर्माताओको दूसरे देशों के गलत व्यापार प्रथाओं से सुरक्षित करने हेतु भारत सरकार ने कस्टम टेरिफ कानून 1975, एंटी डंपिंग नियम व सीवीडी नियम 1995 आदि लागू किए हैं।डीजीटीआर एक अर्ध न्यायिक इकाई है जो घरेलू उद्योगों को अन्य देशों के निर्यातकों की अनुचित व्यापारप्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हेतु सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी तथा काउंटरवेलिंग ड्यूटी का प्रयोग करती है। इसमें ज्यादातर एंटी डंपिंग ड्यूटी का ही प्रयोग किया जाता है जो चीन, कोरिया, ताइवान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन आदि अन्य देशों पर लगाया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर 2017 में डीजीटीआर की सिफारिश पर राजस्व विभाग द्वारा बांग्लादेश से आने वाले उत्पाद पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी। घरेलू उद्योग की सुरक्षा हेतु सरकार अन्य विकल्प जैसे "**सुरक्षा ड्यूटी**" भी लगा सकती है । इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े पैमाने पर किसी आयातित उत्पाद के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा हो।

निष्कर्ष

भारत में ज्यादातर कृषि आधारित उद्योग मध्यम, लघु एवं छोटे श्रेणी में आते हैं जो विभिन्न अनुचित व्यापार नियमों से आयातित सामान से शायद प्रतिस्पर्धा करने क्षमता न रखते हो। ऐसी स्थिति में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सरकार को कोशिश करना चाहिए कि वह उद्योगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें साथ ही इस मद में विभिन्न उद्योगों को जागरूक करें।